Aarthi
2016

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

क्रमांकःएफ (1)/1(67) आ.उ./पीएडीअनु/नियुक्ति/राज.अधि.मंत्रा.च.बो./2018 दिनांकः 24-06-2019

::आदेश::

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी) उद्योग निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा वर्ष 2018 के परिणाम के आधार पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पत्र क्रमांक प.14(32)(1)आरएसएसबी/अर्थना/उ.वि./भर्ती/पात्रता जांच/2018/19 दिनांक 07.01.2019 के द्वारा निम्नांकित अभ्यर्थी का चयन कर पदस्थापन हेतु अभिशंषा की गई थी, परन्तु श्री गौरव शर्मा, कनिष्ठ सहायक द्वारा दायर एस.बी.सी.रिट पिटीशन संख्या 1133/2019 गौरव शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में दिनांक 15.01.2019 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा Status quo Maintain रखने के आदेश पारित किए गए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 27.05.2019 द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया है एवं Stay Vacate कर दिया गया है। अतः उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.05.2019 के क्रम में तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अभिशंषा पर राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम–1966 के प्रावधानानुसार निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थी को राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा में 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (उद्योग निरीक्षक) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह संगत तिथि पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से प्रभावी होगी :–

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	जन्मतिथि	रोल नं.	मेरिट नं./श्रेणी	पदस्थापन स्थान
1.	श्री विष्णु मनोहर भातरा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद भातरा निवासी– डी–14, चंद्रनगर, 9 दुकान, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर–302012	03.08.1994	315154	456 (विभा.मंत्रा.कर्मचारी, सामान्य)	कार्या.आयुक्त, उद्योग, जयपुर में उद्योग निरीक्षक के रिक्त पद के प्रति।

नियुक्ति की शर्तेः–

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एसएलपी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
2. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तारीख वह ही है जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।
3. उक्त नियुक्ति राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम–1966 और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन होंगी।
4. यह नियुक्ति अस्थाई है। उक्त अभ्यर्थी राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के नियम 30 के अन्तर्गत 2 वर्ष के परिवीक्षाकाल में रहेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है।

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

---

5. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा के उद्योग निरीक्षक होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेंगी।
6. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं मानी जायेगी अर्थात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
8. राज्य सरकार के कार्मिक (क–2)विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक प.8(1) कार्मिक/2/2003 दिनांक 09.06.2003 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ13(1) एफडी/रूल्स/03 दिनांक 02.08.2005 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
9. नियुक्त अभ्यर्थी पूर्व में ही उद्योग विभाग मंत्रालयिक सेवा में कार्यरत है। अतः इनके चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।
10. नियुक्त अभ्यर्थी विवाहित है तो उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
11. उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 04 सप्ताह में कार्यग्रहण नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को प्रस्तुत करता है तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

(कृष्णा कान्त पाठक)
आयुक्त, उद्योग

कमांकःएफ (1)/1(67) आ.उ./पीएडीअनु/नियुक्ति/राज.अधि.मंत्रा.च.बो./2018 दिनांकः 24-06-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जययुर।
2. विशिष्ठ शासन सचिव, उद्योग ग्रुप–2 विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त उद्योग।
4. अतिरिक्त निदेशक, उद्योग,संस्थापन।
5. संयुक्त निदेशक, उद्योग (कम्प्यूटर) को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
6. समस्त फंक्शनल अधिकारी, मुख्यालय।
7. संयुक्त निदेशक, उद्योग (संस्थापन), मुख्यालय, जयपुर को निर्देश दिए जाते हैं कि अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों से मिलान कर एक प्रति प्राप्त करेंगे तथा दहेज न लेने का शपथ पत्र, विवाह संबंधी एवं संतान संबंधी सूचना प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
8. सबंधित अभ्यर्थी (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)
9. रक्षित पत्रावली।

24/6/2019
(एस.एस.शाह)
संयुक्त निदेशक, उद्योग
(प्रशासन)